राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं.: 5101871,5101872, ईपीबीएक्स: 5159600,5159699 फैक्स: 5159694–97

क्रमांक: एफ III (543)/रा.प्र.नि.मं./स्था./951 दिनांक: 14-07-2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर जारी विज्ञापन संख्या प0/01–2016/1134 दिनांक 14–07–2016 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा, 2016 में सफल घोषित किए गये श्री विकास सिंह, (रोल नम्बर 6053) जन्म दिनांक 26–09–1984 को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) के रूप में उपस्थिति दर्शाने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के नियम 21 के साथ संलग्न सूची चतुर्थ में उल्लेखित रूपये 17,230/– प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प01(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13–3–2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर, उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाकर पदस्थापन क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा कार्यालय में किया जाता हैः–

1 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प01(2)वित्त/नियम/ 2006 दिनांक 13–3–2006 तथा अधिसूचना कमांक प014(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 8–6–2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंम्बित एसएलपी 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

2 विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर ही नियुक्ति पद पर कार्यग्रहण कराया जायेगा।

3 अभ्यर्थी की नियुक्ति चरित्र प्रमाण पत्र के मण्डल द्वारा संतोजनक पाये जाने के अध्यधीन होगी। यदि चरित्र प्रमाण पत्र में चरित्र प्रमाणीकरण संतोषजक नहीं पाया गया तो नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेगा।

4 अभ्यर्थी की जन्म तारीख वहीं है जो परीक्षा में आवेदन पत्रों के प्रारूप में अंकित की गई है और जिन्हें सम्यक सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।

5 अभ्यर्थी को दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार पे बेण्ड रूपये 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4800/–एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

6 परिवीक्षाकाल में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि एवं कोई अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।

7 अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परिविक्षाकाल में नियत वेतन (fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।

8 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु मण्डल द्वारा इन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होंगे, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त किया जायेगा।

9 यह प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों/उपबन्धों एवं और अपेक्षाओं के सम्बन्धित सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।

10 यदि राज्य मण्डल की राय में अभ्यर्थी का परिवीक्षाकाल में कार्य/आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कार्य में दक्षता प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखता है तो उसे अविलम्ब पद से सेवा मुक्त (DISCHARGE) किया जा सकेगा।

11 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय–II में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

12 निर्धारित तिथि पर उपस्थिति नहीं दर्शाने एवं मण्डल की लिखित अनुमति से एक माह में भी अपनी उपस्थिति रिपोर्ट नहीं देने और न ही किसी प्रकार की कोई सूचना प्रेषित की तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

13 नियुक्ति के पश्चात् भी किसी बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विधि सम्मत मान्यता नहीं होने की स्थिति में उसके द्वारा जारी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी खामियॉ पाये जाने पर सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

14 अभ्यर्थी को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा के कार्यालय में दिनांक 26–07–2017 तक अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी एवं उपस्थिति रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार दस्तावेज/शपथ पत्र प्रस्तुत करने होगेः–

(1) अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व परीविक्षाकाल में नियत वेतन (fix pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित में प्रस्तुत करनी होगी।

(2) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं हैं

(3) महिला अभ्यर्थी को उसने ऐसे पुरूष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है।

(4) विवाहित अभ्यर्थी उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया है।

(5) अविवाहित अभ्यर्थी वे विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करेगें।

(6) दिनांक 1–6–2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे नहीं हुए हैं

(7) शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रति

(8) जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित छाया प्रति

(9) (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट) चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र मूल

(10) स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल

(11) धुम्रपान/गुटका नहीं लेने का शपथ पत्र

(के॰ सी॰ ए॰ अरूण प्रसाद)
सदस्य सचिव

क्रमांकः एफ III(543)/रा.प्र.नि.मं./स्था./951 दिनांकः 14-07-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय, राज0, जयपुर

2 निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।

3 अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।

4 कार्यालयाध्यक्ष, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।

5 आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा॰प्र॰नि॰मं॰, जयपुर।

6 क्षैत्रीय अधिकारी, रा0रा0प्र0नि0मं0, भीलवाड़ा

7 श्री विकास सिंह पुत्र श्री ओ0एन0 सिंह, ए–195/2, राजेन्द्र नगर, बॉके बिहारी मन्दिर के पास बरेली (यू0पी0)

8 कार्यालय प्रति/व्यक्तिगत पत्रावली

9. I.T. Cell.

सदस्य सचिव